प्रेस नोट दिनांक 24.09.2023

(1). थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम अहिरी मे हुयी किसान की हत्या की घटना का सफल अनावरण 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं टीम द्वारा दिनाँक 18.09.2023 को ग्राम अहिरी में हुयी किसान की हत्या की घटना का सफल अनावरण करने में सफलता प्राप्त करते हुये हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18/19.09.2023 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम अहिरी में रामबालक पुत्र माताबदल उम्र 55 वर्ष का खेतों में शव बरामद हुया था, घटना के सम्बन्ध में दिनांक 19.09.2023 मृतक माताबदल के पुत्र आदित्य की सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 219/2023 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक मऊ को घटना की शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से टावर की लोकशन से अभियुक्तों की जानकारी कर मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.विकास उर्फ रज्जन पुत्र सुबेलाल निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. आशुतोष पुत्र श्यामलाल 3. राजेंद्र कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासीगण अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उपरोक्त की निशादेही पर घटना के दिन पहनी हुयी सर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे थे को बरामद किया गया। घटना के दिन घटनास्थल से बरामद अमरुद के पेड़ की लकड़ी की पहचना की गयी तो वह लकड़ी अभियुक्त आशुतोष उपरोक्त के घर में लगा अमरुद के पेड की निकली। अभियुक्तों द्वारा पूंछताछ में बताया कि हमारा एवं मृतक रामबालक का खेत अगल बगल है एवं उनके मध्य जमीन को लेकर पूर्व से रंजिश थी इसी कारण हम तीनों में मिलक अमरुद की लकड़ी से रामबालक की हत्या कर दी एवं वहां से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.विकास उर्फ रज्जन पूत्र सुबेलाल निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
2. आशुतोष पुत्र श्यामलाल
3. राजेंद्र कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासीगण अहिरी थाना मऊ जनपद

बरामदगीः-

एक सर्ट खून के धब्बे लगे हुये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी
2. निरीक्षक अपराध श्री अभयराज सिंह
3. उ0नि0 श्री बालकिशुन
4. उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम
5. मुख्य आरक्षी जुबेर अली
6. आरक्षी राहुल पांडेय
7. आरक्षी दीप प्रताप

(2). आज दिनांक 24.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों,

बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(3). आज दिनाँक 24.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री मनीष कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रमजानी खां तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ कमल पुत्र भइयाराम निवासी गजाधर पुरवा मजरा छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 04/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>बरामदगीः-</u>

01 अदद अवैध चाकू

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री रमजानी खां थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी कमलेश यादव

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्ततों की गिरफ्तरी हेतु चलाये जा ह अभिया के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 122/2023 धारा 363,366ए भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रामकल्याण उर्फ करेला पुत्र अशोक कुमार निवासी वंशरुप का पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना सरधुवा
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(6). आज दिनाँक 24.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में बारावफात त्यौहार एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना कोतवाली कर्वी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की अध्यक्षता में थाना पहाड़ी में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर की अध्यक्षता में, थाना बरगढ़ में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में, थाना सरधुवा में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह तथा थाना भरतकूप में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया गया । इन बैंठकों में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ-साथ हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदाये के पीस कमेटी के सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी में आगामी बरावफात त्यौहार एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा त्यौहारों के दृष्टिगत सतर्क रहकर किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल थाने पर सूचना देने हेतु बताया गया । सभी से शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ आपसी सौहार्द से दोनों त्यौहारों को मनाने की अपील की गयी ।